

17/7/23

पत्रावली पेश हुमी। वादीगण व वकील वादी
 अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगावामी गभी
 आवाज लगावामे के उपरान्त भी वादीगण की
 ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अतः वादीगण
 का वाद पत्र अदालत हाजरी अदालत पैरवी में खारीज
 किया जाता है। पत्रावली फिलहाल शुद्ध होकर
 भण्डार से कद होकर दफ्तर परखिल हो

राजवीर सिंह या
 उपखण्ड अधिकारी
 नीमकाथाना (सीक)